फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

उदय सिह बनाम केसन्ती वगै0

किस्म मुकदमा 225 आर टी एक्ट............अपील संख्या 41/2025

GCMS NO 2025/--------------

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अइकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.25	अपील श्री हंसराम गुर्जर अधिवक्ता ने पेश की । अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 23/25 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23.4.25 उनवानी उदयसिह बनाम केसन्ती वगै0 के विरूद्व पेश की गई। अपीलांट का कथन रहा कि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिसके बंटवारे के संबंध मे वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। जिसमे विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा होने पर हिस्से तय किये जावेगे। परन्तु रेस्पो0 उक्त भूमि को रहन बय करने एवं निर्माण क रने पर आमादा है तथा उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते है यदि रेस्पो0 अपने उक्त मनसूबे मे कामयाब हो गये तो अपीलांट का अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का ~~मुल~~ व्यर्थ हो जावेगा। कानूनन विधिवत बंटवारा हुए बिना विवादित भूमि मे हिस्से विशेष पर किसी प्रकार का निर्माण नही किया जा सकता । अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित मे अपीलांट अधिवक्ता का स्थगन प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र उनवानी उदय सिह बनाम केसन्ती मे वर्णित आराजीयात बाबत उभयपक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतिम निस्तारण तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे एवं रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे तथा अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से कराई जाकर उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना जाकर प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन करते हुए शीघ्र ही प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जावे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली मे आवश्यक कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे। 5/5/2025 राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot

Date: 2025.10.10 13:48:55 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner